


कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका किशनगढ़बास (अलवर) राज0
क्रमांक / नोपाठकीबास / 2023 / 123 दिनांक: 05/04/2023

प्रारूप - 13
नियम 13(2) देखिये
लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं. 213 , 500 राजस्व ग्राम किशनगढ़बास एवं खसरा सं. 244 राजस्व ग्राम गंज तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून, 1999 से पूर्व/बाद की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना का प्रकाशन कि दिनांक से 07 दिन के भीतर – भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जावें और इसलिये क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समर्त विल्लगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मौहर के अधीन 2021
(वर्ष) के 09 (मास) कि 04 दिन कि जारी की जाती है।


(महेश कुमार गुर्जर)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका किशनगढ़बास